कार्यालय कलेक्टर
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
पांच बिल्डिंग परिसर,जिला-दुर्ग (छ.ग.)

महिला एवं बाल विकास विभाग

Phone No. :- 0788-2323704, E-Mail ID :- dpodurg@gmail.com

क्रमांक/2993 /मबावि/मिशन वात्सल्य/2025-26 दुर्ग, दिनांक 27/11/2025

"विज्ञापन"

"मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन"

भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभग द्वारा स्वीकृत मिशन वात्सल्य योजना के प्रावधानों एवं स्वीकृति अनुसार योजना के कियान्वयन हेतु शासकीय बाल देखरेख सस्थाओं के विभिन्न संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से **दिनांक 15.12.2025 तक** केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों एवं आवेदन प्रकिया का विवरण निम्नानुसार है :-

1. शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों का विवरण :-

क.	पदनाम	रिक्त पदों की जानकारी	पद संख्या					निर्धारित एकमुश्त मासिक वेतन (राशि रूपये में
			अना.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.पि.व.	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्टोर कीपर सह लेखापाल	1	1	0	0	0	1	18536/-
2	हाउस फादर/हाउस मदर	1	0	1	0	0	1	14564/-
3	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	3	1	1	0	1	3	10000/-
4	एजुकेटर	1	0	1	0	0	1	10000/-
5	कला एवं काफ्ट सह संगीत शिक्षक	2	1	1	0	0	2	10000/-
6	रसोईया	3	1	0	1	1	3	9930/-
7	सहायक सह रात्रि चौकीदार	3	1	0	1	1	3	7944/-
योग		**14**	**5**	**4**	**2**	**3**	**14**	

टीप :- उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकती है अथवा अपरिहार्य कारणों से पद/पदों पर नियुक्ति स्थगित/निरस्त की जा सकती है।

2. बाल देखरेख संस्थाओं में रिक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी :–

क	पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
1	स्टोर कीपर सह लेखापाल	वाणिज्य/अर्थशास्त्र अथवा समकक्ष विषय में स्नातक अथवा सी.ए. /आईसीडब्ल्यूए इंटर	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/टेली तथा कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान/चार्टर्ड अकाउंटेन्ट के फर्म में लेखा एवं लेखा संधारण का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव/आर्टिकल क्लर्क के रूप में 3 वर्ष का कार्यानुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
2	हाउस मदर/हाउस फादर	समाजशास्त्र/मनोविज्ञान /समाज विज्ञान/विधि या समकक्ष सामाजिक विषयों में स्नातक	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/अर्द्धशासकीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सी/शासन से अनुदान प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं एवं चाईल्ड लाईन/बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य/किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में बच्चों की देखभाल/संरक्षण/पुर्नवास/बाल कल्याण के क्षेत्र में कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
3	पीटी इस्ट्रक्टर सह योग प्रशिक्षक	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं एवं योग में डिग्री/डिप्लोमा/बीपीएड	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थान में पीटी इस्ट्रक्टर/योग प्रशिक्षक काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
4	एजुकेटर	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं बी.एड.	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थान के साथ काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
5	कला एवं काफ्ट सह संगीत शिक्षक	मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं	कम्प्यूटर पर एम.एस. ऑफिस/कम्प्यूटर/वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।	शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थान में कला/काफ्ट/संगीत शिक्षक के रूप में काम करने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव।	अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा का ज्ञान।
6	रसोईया	आठवीं	—	शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी प्रतिष्ठित संस्थान में कम से कम 03 वर्ष का रसोईया का कार्यानुभव।	—

क	पदनाम	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
1	2	3	4	5	6
7	सहायक सह रात्रि चौकीदार	पांचवी पास	—	शासकीय / अर्द्धशासकीय / निजी प्रतिष्ठित संस्थान में कम से कम 02 वर्ष का चतुर्थ श्रेणी / चौकीदार का कार्यानुभव।	—

3. शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
4. **आयु सीमा** —
    - सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2025 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
    - सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश लागू होंगे।
    - आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण–पत्र या 10वीं की अंक सूची मान्य होगी।
5. **निवास** :– अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
6. **पदों हेतु आरक्षण** :– संविदा नियुक्ति के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 एवं उसके अधीन जारी नियम / निर्देश लागू होंगे। आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी।
8. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

   टीप – कंडिका 07 एवं 08 के संबंध में चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू. 50/– के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

9. **अनुभव के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है** :–

   9.1 अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण–पत्र मान्य होंगे।

   9.2 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण–पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।

9.3 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

9.4 अनुभव प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

9.5 शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थानों में कार्यरत होने पर अनुभव प्रमाण पत्र के साथ वेतन/मानदेय संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न किया जावे। संलग्न नहीं होने की स्थिति में अनुभव को अमान्य किया जावेगा।

9.6 अनुभव प्रमाण पत्र में जारी दिनांक, पत्र कमांक एवं तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

टीप :– आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी (कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बाल कल्याण एवं सरंक्षण समिति) का निर्णय अंतिम होगा।

10. प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदकों का ही अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट सूची तैयार करते हुए व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा (जहां लागू हो) के आधार पर चयन सूची तैयार किया जावेगा।

11. नियुक्ति प्राधिकारी :– जिला स्तरीय पदों के लिए जिला–कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होंगे।

12. अंकीय प्रणाली :– निर्धारित मापदंडो के आधार पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर अभ्यर्थियों का प्रावीण्य सूची अंकीय प्रणाली के आधार पर तैयार किया जायेगा। मूल्यांकन हेतु अंकों की गणना निम्नानुसार होगी :–

12.1 अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्तांक के प्रतिशत पर 70 प्रतिशत अंक दिये जायेंगे।

12.2 निर्धारित न्यूनतम अनुभव पर कोई अंक देय नहीं होगा किंतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव अवधि के पश्चात प्रत्येक 01 वर्ष के अनुभव पर 02 अंक दिये जायेंगे, जो अधिकतम 10 अंक तक होगा।

12.3 उपरोक्त में से प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।

12.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार या कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पद पर व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा दोनों रखा जायेगा वहां कौशल परीक्षा के लिए 10 अंक तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 10 अंक होंगे।

12.5 अभ्यर्थियों के प्रावीण्य सूची में समान अंक होने की दशा में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जावेगी। यदि उम्र भी समान हो तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।

13. उपरोक्तानुसार अंकीय प्रणाली के आधार पर कमांक 12 के उप कंडिका 12.1 एवं 12.2 पर प्राप्त कुल अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। चयन हेतु प्रावीण्य सूची में से प्रत्येक पद के लिए एक अनुपात दस (1:10) के अनुपात में व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आवेदकों को आमंत्रित किया जायेगा।

13.1 चयन समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त अंकों के आधार पर समग्र प्रावीण्य सूची एवं प्रवर्गवार प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी। प्रावीण्य सूची में अपने प्रवर्ग में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

13.2 प्रत्येक पद के लिये 50 प्रतिशत अथवा 05 जो भी अधिक हो, अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की वैधता, चयन सूची प्रकाशन तिथि से 01 वर्ष तक रहेगी।

14. नियुक्ति की अवधि :-

14.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में अधिकतम 03 वर्ष या भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि, जो भी पहले हो, की अवधि हेतु नियुक्त किया जाएगा।

14.2 बाल देखरेख संस्थाओं में कार्य की आवश्यकता होने पर वार्षिक कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर एक बार में संविदा सेवा अवधि अधिकतम 03 वर्ष के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (पदेन अध्यक्ष जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति) द्वारा संविदा अवधि वृद्धि करने का निर्णय लिया जा सकेगा। संविदा वृद्धि नहीं किये जाने की स्थिति में सेवा स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।

14.3 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बतायें भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

14.4 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरांत इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

14.5 नियुक्ति के पश्चात भी यदि नियुक्ति संबंधी अर्हताओं एवं शर्तो का पूरा करना नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।

14.6 उपरोक्त समस्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी भारत सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत योजना के स्वीकृत पद है तथा भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं छ.ग. शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के पत्र कमांक 2489/239/सा/2023/50/दिनांक 04.10.2023 द्वारा जारी राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की मानव संसाधन नीति 2023 द्वारा शासित होंगे।

15. आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-

15.1 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों को कोई सूचना नहीं दी जायेगी।

15.2 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

15.3 आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार होंगे।

15.4 आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए।

15.5 निर्धारित अर्हता एवं शर्ता को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।

15.6 आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली/गलत पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

16. चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा।

17. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट www.durg.gov.in पर देखी जा सकती है।

18. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ई–मेल आईडी व मोबाईल नं. का उल्लेख किया जावे, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को सूचना दी जा सके।

टीप :–

1. **दस्तावेज सत्यापन के समय समस्त वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।**
2. **व्यक्तिगत साक्षात्कार/कौशल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।**

19. आवेदक को आवेदन **दिनांक 15.12.2025 सायं 5.00 बजे तक** कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पांच बिल्डिंग परिसर, दुर्ग में निर्धारित तिथि तक (केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से) प्रस्तुत करना होगा। **इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक को प्रत्येक पद के लिए पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।**

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

जिला कार्यक्रम अधिकारी/सचिव
जिला बाल संरक्षण समिति
महिला एवं बाल विकास विभाग
दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्र./2994/मबावि/मिशन वात्सल्य/2025–26 दुर्ग, दिनांक 27/11/2025

प्रतिलिपि :–

1. **कलेक्टर,** जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. **संयुक्त संचालक** (मिशन वात्सल्य), संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. **जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,** जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र दुर्ग, की ओर विज्ञापन की एक प्रति प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे जिले की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
4. **उप संचालक,** जनसपंर्क विभाग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) की ओर स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के अनुरोध सहित प्रेषित।

जिला कार्यक्रम अधिकारी/सचिव
जिला बाल संरक्षण समिति
महिला एवं बाल विकास विभाग
दुर्ग (छ.ग.)

मिशन वात्सल्य योजनांतर्गत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के रिक्त पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

....

....

....

पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो जिसमें हस्ताक्षरयुक्त का आधा भाग फोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए चस्पा

1. आवेदित पद का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (अंग्रेजी में) :– ....
3. पिता/पति का नाम :–..
4. स्थायी पता :– ....
   ....
5. (पत्र व्यवहार का पता) :– ....
   ....
   मोबाईल नं. –.............................ई–मेल आईडी :– ....
6. जन्मतिथि (अंकों में) :– ....
   (शब्दों में) :– ....
7. दिनांक 01/01/2025 को आयु :–..
8. लिंग पुरूष/महिला :– ....
9. जाति/वर्ग (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य) जाति ....वर्ग..........................
10. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत है ? :– ....
    यदि हॉ तो संबंधित संस्था का नाम एवं :– ....
    पूर्ण पता :– ....
11. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता :– ....
    (संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. यदि आवेदक विवाहित है तो विवाह की तिथिः– ....एवं जीवित बच्चों की संख्या :– ....
13. शैक्षणिक योग्यता :–(जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क.	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/विवि/संस्था का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी

14. अन्य योग्यता का विवरण :– ....

15. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :– ....

क.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव का विवरण		वेतन	पद छोड़ने का कारण
			कब से	कब तक		
1						
2						
3						
4						
5						

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

16. अनिवार्य संलग्नकों की सूची (सत्यापित प्रति संलग्न करें) –

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
2. जन्मतिथि हेतु 10वीं की अंकसूची/प्रमाणपत्र
3. 12वीं की अंकसूची
4. स्नातक की अंकसूची
5. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
6. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
7. व्यवसायिक पाठ्यकम का प्रमाणपत्र (पद अनुरुप आवश्यक होने पर)/कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र के साथ वेतन/मानदेय संबंधी प्रमाण पत्र।
8. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नकों का विवरण

1..

2..

3..

4..

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक का नाम....................................

मोबाईल नंबर ....

घोषणा–पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान– ....

दिनांक– ....